स्पीड पोस्ट

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

Government of India

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

National Commission for Scheduled Tribes

(A Constitutional body set up under Article 338A of the Constitution of India)

छठा तल, 'बी' विंग, लोकनायक भवन,
नई दिल्ली- 110003

केस नंबर: D & O/20/2019/STGUP/SEFCC/RU-I

दिनाक: 26.07.2019

सेवा में,

ज़िला अधिकारी,
ज़िला- अंबेडकरनगर,
(Collectorate Campus, Akbarpur Tehsil,
(उत्तर प्रदेश)- 224122

ज़िला समाज कल्याण अधिकारी,
ज़िला- अंबेडकरनगर,
(उत्तर प्रदेश)

विषय: ज़िला अंबेडकर में निवासरत गोंड तथा धुरिया समुदाय के लोगों को ज़िला प्रशासन द्वारा जाति प्रमाण पत्र न जारी करने के संबंध में- प्रांतीय अध्यक्ष, अखिल भारत वर्षीय गोंड महासभा, अम्बेडकरनगर, श्री राम सँवारे, ग्राम- रसल पारा, श्री हरिनारायन गोंड, प्रांतीय उपाध्यक्ष, गोंड महासभा उत्तर प्रदेश तथा श्री अजय कुमार गोंड, ग्राम- रामपुर कलाँ, ज़िला- अम्बेडकरनगर के अभ्यावेदन ।

महोदय,

मुझे उपरोक्त विषय पर, सुश्री अनुसुईया उइके माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली की अध्यक्षता में 16.07.2019 समय 02.30 बजे आयोजित बैठक के कार्यवृत्त की प्रति (संलग्न) आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करने का निर्देश हुआ है ।

यह अनुरोध है कि आयोग द्वारा की गई अनुसंशाओं पर कार्यवाही रिपोर्ट निर्धारित अवधि के अंदर भेजने का कष्ट करे ।

भवदीय,

(राजेश्वर कुमार)
सहायक निदेशक
दूरभाष: 24641640

प्रतिलिपि:

1 श्री दयाराम गोंड,
प्रांतीय अध्यक्ष,
अखिल भारत वर्षीय गोंड महासभा,
सेनपुर बाज़ार (निकट राजकीय नलकूप)
पोस्ट- सया, ज़िला- अम्बेडकरनगर,
(उत्तर प्रदेश)- 224152
(मोबाइल नंबर: 9838810271)

2 श्री राम सँवारे,
ग्राम- रासल पारा,
पोस्ट- धरमगंज,
ज़िला- अम्बेडकरनगर,
(उत्तर प्रदेश)- 224152

3 श्री हरीनारायण गोंड,
ग्राम- कुठमा,
पोस्ट- महुलिया,
ज़िला- अम्बेडकरनगर,
(उत्तर प्रदेश)
(मोबाइल नंबर: 6306318241)

4 श्री अजय कुमार गोंड,
ग्राम + पोस्ट- रामपुर कलाँ,
ज़िला- अम्बेडकरनगर,
(उत्तर प्रदेश)
(मोबाइल नंबर: 7398078852)

Copy for information to:

1. PS to Hon'ble Vice-Chairperson, NCST
2. NIC (please upload on the Commission's website)

Government of India
National Commission for Scheduled Tribes

ज़िला अंबेडकर में निवासरत गोंड तथा धुरिया समुदाय के लोगों को ज़िला प्रशासन द्वारा जाति प्रमाण पत्र न जारी करने के संबंध में- प्रांतीय उपाध्यक्ष, अखिल भारत वर्षीय गोंड महासभा, अम्बेडकरनगर, श्री राम सँवारे, ग्राम- रासल पारा, श्री हरिनारायन गोंड, प्रांतीय उपाध्यक्ष, गोंड महासभा उत्तर प्रदेश तथा श्री अजय कुमार गोंड, ग्राम- रामपुर कलाँ, ज़िला- अम्बेडकरनगर के अभ्यावेदन के मामलो में सुश्री अनुसुईया उइके, माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में आयोजित सिटिंग दिनाक 16.07.2019 समय 02.30 बजे का कार्यवृत ।

(F. No. D & O/20/2019/STGUP/SEFCC/RU-I)

List of participants in the sitting is annexed.

2. श्री दयाराम गोंड, प्रांतीय उपाध्यक्ष, अखिल भारत वर्षीय गोंड महासभा, अम्बेडकरनगर, श्री राम सँवारे, ग्राम- रासल पारा, श्री हरिनारायन गोंड, प्रांतीय उपाध्यक्ष, गोंड महासभा उत्तर प्रदेश तथा श्री अजय कुमार गोंड, ग्राम- रामपुर कलाँ, ज़िला- अम्बेडकरनगर ने अपने अभ्यावेदनों में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को अवगत कराया कि ज़िला प्रशासन धुरिया एवं गोंड समुदाय के लोगों को अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं कर रहा है । आयोग ने पत्र दिनाक 29.05.2019 द्वारा ज़िला अधिकारी, अंबेडकर नगर से प्रकरण पर तथ्य तथा आख्या भेजने का अनुरोध किया ।

3. दिनाक 16.07.2019 की सिटिंग में उपज़िला अधिकारी, भीटी तथा ज़िला समाज कल्याण अधिकारी, अंबेडकर नगर एवं अभ्यावेदक उपस्थित हुये । अभ्यावेदको ने माननीय उपाध्यक्ष को बताया कि ज़िला प्रशासन जान बूझकर जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं कर रहा है । सिटिंग में ज़िला समाज कल्याण अधिकारी, अंबेडकर नगर ने ज़िला अधिकारी अंबेडकर नगर के पत्रांक 1233/जे०ए०/विविध-2/मा०रा०अनु०जनजा०आयोग-जांच/गोंड/धुरिया/2019 दिनाक 12.07.2019 प्रदान किया । जिसमे बताया गया कि तहसील- अकबरपुर, टांडा, जलालपुर, आलापुर, भीटी में गोंड व धुरिया समुदाय के व्यक्ति नहीं पाये जाते है । ज़िला समाज कल्याण अधिकारी ने यह भी बताया कि इस विषय पर तीन बार सर्वेक्षण किया जा चुका है । अभ्यावेदकों ने कहा कि सभी सर्वेक्षण झूठे है, अतः दुबारा सर्वेक्षण कराया जाए ।

4. प्रकरण में विस्तृत चर्चा के बाद, माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने सुझाव दिया कि इस प्रकरण पर ज़िला प्रशासन को विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये "उच्च स्तरीय समिति" का गठन करना चाहिए । जिसमे धुरिया तथा गोंड समुदाय के लोगों का भी प्रतिनिधित्व हो, जिससे ज़िले में धुरिया तथा गोंड समुदाय के लोगों की वास्तविक स्थिति का पता किया जा सके । ज़िला प्रशासन द्वारा तहसीलदार तथा लेखपालों तथा अन्य संबन्धित अधिकारियों को ज़िले में निवासरत धुरिया तथा गोंड समुदाय के भोले-भाले लोगों के साथ सौहार्द पूर्ण व्यवहार करने की सलाह दी जाये ।

23/7/19

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

भारत सरकार
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

ज़िला अंबेडकर में निवासरत गोंड तथा धुरिया समुदाय के लोगों को ज़िला प्रशासन द्वारा जाति प्रमाण पत्र न जारी करने के संबंध में- प्रांतीय उपाध्यक्ष, अखिल भारत वर्षीय गोंड महासभा, अम्बेडकरनगर, श्री राम सँवारे, ग्राम- रासल पारा, श्री हरिनारायन गोंड, प्रांतीय उपाध्यक्ष, गोंड महासभा उत्तर प्रदेश तथा श्री अजय कुमार गोंड, ग्राम- रामपुर कलाँ, ज़िला- अम्बेडकरनगर के अभ्यावेदन के मामलो में सुश्री अनुसूइया उइके, माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में आयोजित सिटिंग दिनाक 16.07.2019 समय 02.30 बजे में उपस्थित प्रतिभागियों की सूची ।

(Case No. D & O/20/2019/STGUP/SEFCC/RU-I)

I **National Commission for Scheduled Tribes**

1. Ms. Anusuiya Uikey, Hon'ble Vice-Chairperson — In Chair

2. Shri Gaurav Kumar, P. S. to Hon'ble Vice-Chairperson

3. Shri Rajeshwar Kumar, Assistant Director

4. Shri R.S. Misra, Senior Investigator

II **District Ambedkar Nagar**

Shri Devi Dayal Verma,
Dy. Collector, Bheeti
Ambedkar Nagar

III **District Social Welfare Officer, Ambedkar Nagar**

Shri R.K. Churasiya

IV **Petitioner (s)**

1. Shri Dayaram Gond
2. Shri Harinarayan Gond
3. Shri Ram Saware Dhuria
4. Shri Ajay Kumar Gond
5. Shri Ramkeval Gond